न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारीः ओ0पी0बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 90/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
धर्माराम पुत्र पूनाराम पटेल निवासी–ग्राम खेडा सरेचा, तहसील लूणी, जोधपुर।		1. हड़मानाराम पुत्र अनाराम कुम्हार निवासी–गांव खेडा सरेचा, तहसील लूणी जोधपुर। 2. तहसीलदार लूणी, जोधपुर। 3. पटवारी, पटवार हल्का, सरेचा, तहसील लूणी जोधपुर।

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.02.2018 अति0 जिला कलेक्टर प्रथम, जोधपुर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 15/2017 अनवान धर्माराम बनाम हडमानराम वगै. में पारित किया।

उपस्थितिः–

1– श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की की ओर से ।
3– रेस्पो0 संख्या 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 27 अक्टूबर,2022

अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट धर्माराम की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम खेडा सरेंचा तहसील लूणी के खसरा न0 563 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा में आयी हुयी है। अपीलांट धर्माराम के पुत्रों पदमाराम व मदनाराम व स्वयं की ढाणियां उक्त खसरे की भूमि में कई वर्षो से बनी हुयी है। इन ढाणियों में धर्माराम स्वयं एवं अपने पुत्रों के अलग–अलग परिवारों के सदस्यों के साथ रहता चला आ रहा है। उक्त ढाणियो को परिवार सहित हटाकर रेस्पोण्डेंट हडमानराम ने मार्ग की मांग की गयी जबकि हडमानराम गांव में रहता है।

रेस्पोडेन्ट हडमानराम के खेत में आने जाने के लिये पास के खेत खसरा न0 567 में से पुराने समय से ही कदमी रास्ता चला आ रहा है। इस संबंध में तहसीलदार व पटवारी हल्का ने मौका जांच पडताल नहीं एवं मौके के साक्ष्य रेकर्ड पर नही लेकर मिलीभगती करते हुए व गैरकानूनी रूप से नामा0 संख्या 70 दिनांक 8.06.2015 को स्वीकृत करवा लिया, जो भारी कानूनी भूल की है। इसलिये स्वीकृत उक्त नामा0 संख्या 70 निरस्त होने योग्य है। तहसीलदार, लूणी ने नामा0 सं0 70 दिनांक 08.06.2015 को स्वीकृत करने के पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गयी और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान दिया गया और न ही मौके पर भूमि के कब्जे बाबत किसी प्रकार की जॉच की गई थी, मौके पर आज भी अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट के उक्त कानूनी प्रावधानों तथा अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। तहसीलदार, लूणी ने धारा 131 से 135 राज0 भू–राजस्व

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निरस्त होने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या एक ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, लूणी न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 42/2013 हडमानराम बनाम तहसीलदार व धर्माराम के विरूद्व प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी ने भी अपीलान्ट की उक्त बातों पर बिलकुल गौर नहीं किया तथा राजनैतिक दबाव के कारण दिनांक 30.04.2014 को आदेश पारित कर दिया जो कि निरस्त होने योग्य है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट की इस अपील को स्वीकार किया जावें एवं अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर अपीलांट को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान कराने के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर रिमाण्ड करने का आदेश फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी के आदेश दिनांक 30.04.2014 के विरूद्व अपीलांट धर्माराम ने एक रिव्यू प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, लूणी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस रिव्यू पिटीशन के बाद में राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में अपील अभी विचाराधीन है। जिसकी प्रतिलिपि अति0 जिला कलेक्टर प्रथम, जोधपुर के निर्देशानुसार प्राप्त कर संलग्न पत्रावली होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अवलोकन किये ही दिनांक 9.2.2018 को आदेश पारित कर दिया जबकि धारा 52 सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध है। नामा0 सं0 70 दिनांक 08.06.2015 को तहसीलदार, लूणी द्वारा स्वीकृत किया गया जबकि दोनो अनवान प्रकरणों में तहसीलदार पक्षकार है तथा उन्हें भलीभांति जानकारी थी कि उक्त दोनो प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन है। इसके बावजूद नामा0 सं0 70 को कानूनी प्रावधानों को ताक में रखकर स्वीकृत किया गया है। इस कारण से नामा0 सं0 70 दिनांक 08.06.2015 निरस्त करने योग्य है।

इसके अतिरिक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रथम, जोधपुर को भी नामा0 अपील के दौरान उक्त विचाराधीन प्रकरणों से अवगत कराने के बावजूद उनके द्वारा जल्दबाजी में दिनांक 09.02.2018 को आदेश पारित किया गया तथा अपीलांट की अपील निरस्त कर दी गयी। जबकि अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर को चाहिये था वे विवादित नामा0 के संबंध में दो प्रकरण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर उक्त निर्देशों के अनुसार पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड करने का आदेश पारित किया जाना चाहिये था। इस कारण श्रीमान अति0 जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर का आदेश इनकम्पलीट, इम्प्रोपर व गैरकानूनी होने से अपास्त होने योग्य है। विवादित नामा0 सं0 70 दिनांक 08.06.015 तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जोधपुर का आदेश दिनांक 09.02.2018 प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों तथा कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से अपास्त योग्य है। इस प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट की ओर से नोटिस तामील के बावजूद आज दिन तक स्वयं रेस्पोन्डेन्ट व उसकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हो रहे है। अतः रेस्पोन्डेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नही होने से भी अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने मे किसी प्रकार का

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

विरोध नहीं है।

रेस्पो0 संख्या एक बावजूद तामीली सूचना के उपस्थित नहीं हुए। रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई करने के उपरान्त आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखा जावें।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत लिखित बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, लूणी के द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 30.04.2014 को आदेश पारित करते हुए ग्राम खेडा सरेंचा तहसील लूणी के खसरा संख्या 563 की पश्चिमी माठ के सहारे खसरा संख्या 564 ग्राम खेडा सरेचा, पटवार क्षेत्र सरेचा, तहसील लूणी में पहुंच हेतु काश्तकारान को रास्ता उपलब्ध करवाया गया है जिसकी अनुपालना में ही हस्तगत नामान्तरकरण भरा गया है जो कि विधिसम्मत कार्यवाही की गई प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के उक्तानुसार नामान्तरकरण सम्बन्धी आदेश दिनांक 08.06.2015 एवं न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (प्रथम), जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2018 में न्यायालय हाजा किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है, लिहाजा उक्त आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (प्रथम), जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2018 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 27 अक्टूबर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर